विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

लोकतंत्र में आलोचना अपराध नहीं है

सरकारें सामान्यतया आलोचना को सहन नहीं कर पातीं और कई बार आलोचकों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह की कार्यवाही तक प्रारंभ कर देती हैं। पुलिस भी उनके इस काम में पूरी सहायता करती है। यह दुर्भाग्य ही है कि पुलिस, जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संविधान और कानून के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा है, वह भी सत्ता धारी दल की इच्छानुसार काम करने के लिए तत्पर हो जाती है।

देश में समय-समय पर लेखक, साहित्यकार, कवि, व्यंगकार एवं अन्य सृजन कर्मी हुए हैं, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से शासन की कमियों को उजागर किया और जनता को जागृत करने का कार्य भी किया। जब अंग्रेजों का शासन था, तो स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्यकारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।

गत कुछ वर्षों से ऐसा लगता है कि विभिन्न सरकारों की, आलोचना के प्रति सहिष्णुता कम होती जा रही है। समय-समय पर, विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिए जाने के बावजूद भी कि, भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, सरकारें ऐसे आलोचकों को प्रताड़ित करने में लगी रहती हैं। इसके दो उदाहरण हाल ही में सामने आए हैं। पहला, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं एआईसीसी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी का है, जो सांसद होने के साथ-साथ अच्छे शायर भी हैं ।

29 दिसंबर, 2024 को जामनगर, गुजरात में इमरान प्रतापगढ़ी, जामनगर नगर परिषद के सदस्य अल्ताफ गफ्फार भाई खाफी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो पृष्ठभूमि में एक गीत बज रहा था जिसके बोल कुछ इस प्रकार थे :-

''ए खून के प्यासों बात सुनो,
गर हक की लड़ाई जुल्म से है
हम जुल्म से इश्क निभा देंगे
गर शम ए गरिया आतश है,
हर राह वो शमा जला देंगे।
गर लाश हमारी अपनों की,
खतरा है तुम्हारी मसनद का,
उस रब की कसम, हम हंसते, हंसते
उनकी लाशें दफना देंगे ।
ए खून के प्यासों बात सुनो....।''

इस गीत को इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने..... अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। इसे समाज के विभिन्न वर्गों में फैलाने और आपस में भिड़ाने वाला ठहराते हुए, इमरान प्रतापगढ़ी के विरुद्ध भारतीय नागरिक संहिता की धारा 196,197,299,300 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज करा दी गई। इस एफ आई आर को निरस्त करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर की, किंतु न्यायालय ने एफ आई आर निरस्त करने से इनकार कर दिया। इसके विरुद्ध उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभय ओका और न्यायाधीश उज्जल भुयान की खंडपीठ ने 28 मार्च, 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार मानते हुए, इमरान प्रतापगढ़ी के विरुद्ध दर्ज एफ आई आर को निरस्त कर दिया । इस 64 पृष्ठों के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत का गणतंत्र 75 सालों बाद इतना कमजोर नहीं है कि किसी कविता, लेख, व्यंग्य या स्टैंड अप कॉमेडी से उसे खतरा उत्पन्न हो जाय ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने नागरिक के विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अहम मानते हुए यह कहा कि उसकी रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका सहित सबका है । पुलिस को भी एफ आई आर दर्ज करने के पहले यह देखना चाहिए था कि शिकायत के आधार पर कोई अपराध बनता भी है या नहीं? केवल शिकायत के आधार पर ही पुलिस को यह सोचना चाहिए था कि क्या इस कविता से राष्ट्र की एकता, अखंडता या संप्रभुता पर कोई कोई खतरा है या नहीं ? क्या इसके कारण भाषा, क्षेत्र, धर्म या समुदाय के आधार पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया गया है? इसके विपरीत, इस कविता में तो शासक के अत्याचार का उत्तर, प्रेम से देने की बात कही गई है। शायर ने तो यहां तक कहा कि यदि जुल्म के विरुद्ध आवाज़ उठाने के कारण हमारे लोगों की जान भी चली जाय तो हम उन्हें दफना देंगे। ये कविता उस व्यवस्था के विरुद्ध है, जो जनता के खून की प्यासी है। यह किसी दल या व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है। पुलिस ने अपने दायित्व का निर्वहन सही तरह नहीं किया है । इसी आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इमरान प्रतापगढ़ी के विरुद्ध दर्ज एफ आई आर को निरस्त कर दिया और यह अपेक्षा भी की, कि नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति, सरकारों को इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण प्रकरण तब सामने आया जब प्रसिद्ध स्टैंडअप कॉमेडियन और राजनीतिक व्यंग्यकार कुणाल कामरा ने मुंबई के खार स्थित 'द हैबिटेट स्टूडियो' में जनवरी, 2025 को रिकॉर्ड किए गए अपने एक स्टैंड अप कॉमेडी के कार्यक्रम को यूट्यूब पर पोस्ट किया। इस कार्यक्रम के दौरान कामरा ने बिना नाम लिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक व्यंग्यात्मक पैरोडी पढ़ी, जिसमें उन्हें गद्दार की संज्ञा दी।

आशा की जानी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इमरान प्रतापगढ़ी वाले प्रकरण में दिए गए निर्णय की भावना को समझते हुए अनावश्यक रूप से एफआईआर दर्ज करने का जो सिलसिला कई राज्यों में प्रारंभ हुआ है, उस पर रोक लगेगी। इसके बावजूद भी यदि किसी को अपनी भावनाएं आहत होती हुई दिखाई दे तो वह कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

पैरोडी की कुछ पंक्तियां निम्न प्रकार हैं:-

ठाणे की रिक्शा
चेहरे पे दाढ़ी
आंखों पे चश्मा, हाय
एक झलक दिखलाए, कभी
गोहाटी में छुप जाए,
मेरी नज़र से तुम देखो
गद्दार नजर वो आए.....।''

यू ट्यूब पर इसे मार्च के अंतिम सप्ताह में अपलोड किया गया। इससे उत्तेजित होकर शिंदे की शिवसेना के कई कार्यकर्ता राहुल कनल के नेतृत्व में होटल यूनी कांटिनेंटल पहुंच गए और बहुत तोड़ फोड़ की। महाराष्ट्र सरकार ने कामरा को माफी मांगने के लिए कहा लेकिन उसने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि वही कहा है जो दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार पहले ही कह चुके थे। शिवसैनिकों के कई नेताओं ने अपने लोगों का,कामरा को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए आव्हान तक किया।

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यदि किसी के विचारों से कोई सहमत न हो, तो उसका प्रतिकार उसी प्रकार की कविता या लेख लिख कर किया जा सकता है या पुलिस में शिकायत करके कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में, क़ानून हाथ में लेकर तोड़ फोड़ करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। कामरा के प्रकरण में जिस प्रकार से महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री शिंदे ने उनके कार्यकर्ताओं द्वारा की गई कार्यवाही को 'क्रिया' की 'प्रतिक्रिया' बताकर उसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया, उसे कानून हाथ में लेने के लिए उकसाना ही कहा जाएगा। लोकतंत्र में कानून का शासन होना चाहिए न कि गुंडागर्दी करने वालों का। इस घटना के बाद स्थानीय नगर परिषद ने भी बदले की कार्यवाही यूनि कांटिनेंटल होटल के निर्माण को अवैध बताते हुए उसे तोड़ दिया। यह उल्लेखनीय है कि जिस स्टूडियो में कामरा के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हुई, वह इस होटल में था।

जब तक किसी की गतिविधियां हिंसक न हों, राष्ट्र की एकता पर आघात न करे या फिर भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर कटुता तथा हिंसा न फैलाए, उसे प्रतिबंधित करना संविधान सम्मत नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए पहल करने ही होगी।

जब कुणाल कामरा की गिरफ्तारी के लिए मुंबई पुलिस बहुत उतावली दिख रही थी तो उसने चेन्नई उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत की, जिस पर उसी दिन सुनवाई करके उसे अग्रिम जमानत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर 7 अप्रैल, 2025 तक रोक लगा दी।

इमरान प्रतापगढ़ी वाले प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि यदि समाज के अधिकांश लोगों को किसी के द्वारा लिखी या कही हुई कोई बात पसंद नहीं भी हो, तब भी उस व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। जिन परिस्थितियों में इस स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है, उसमें सरकार के विरुद्ध कोई बात कहना कतई सम्मिलित नहीं हैं।

देश संविधान और कानून से ही चल सकता है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि किसी की मानहानि हुई है या किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए पुलिस में जाकर रिपोर्ट की जा सकती है अथवा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा न करके, केवल गुंडागर्दी के बल पर किसी को मारने की धमकी देना अथवा तोड़फोड़ करना अपराध है । यह समझना होगा कि सरकार की आलोचना करना, अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, चाहे वह साहित्य की किसी भी विधा के माध्यम से हो ।उसे प्रतिबंधित करना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पॉडकास्ट में हाल ही में स्पष्ट कहा कि ''आलोचना, लोकतंत्र की आत्मा है''। प्रधानमंत्री के कथन का स्वागत किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रकार की बात कही जाने के बावजूद, महाराष्ट्र में उन्हीं के सहयोगियों द्वारा हिंसा की कार्रवाई करना किसी भी रूप में उचित नहीं है। यदि किसी के विरुद्ध मुकद्दमा दर्ज होना ही है तो इस प्रकार तोड़फोड़ करने के वालों के विरुद्ध होना चाहिए न कि कुणाल कामरा जैसे स्टैंडअप कॉमेडियन और व्यंग्यकार के विरुद्ध। ऐसा करके उन्होंने परोक्ष रूप से कामरा को लाभ ही पहुंचाया है क्योंकि उनके यूट्यूब की इस पोस्ट को अब तक एक करोड़ लोग देख चुके हैं।

आशा की जानी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इमरान प्रतापगढ़ी वाले प्रकरण में दिए गए निर्णय की भावना को समझते हुए अनावश्यक रूप से एफआईआर दर्ज करने का जो सिलसिला कई राज्यों में प्रारंभ हुआ है, उस पर रोक लगेगी। इसके बावजूद भी यदि किसी को अपनी भावनाएं आहत होती हुई दिखाई दे तो वह कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

पुलिस को किसी प्रकार का कदम उठाने से पूर्व यह देखना होगा कि क्या वास्तव में किसी व्यक्ति का कथन समाज को तोड़ने वाला है या देश की अखंडता को खंडित करने वाला है?

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, तपती दुपहरी में शीतल पानी की फुहार जैसा है। यह अपेक्षा की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भावना को समझते हुए देश के अन्य न्यायालय भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे एवं इसका विरोध हिंसा से करने वाले लोगों को सबक सिखाएंगे। किसी भी सभ्य समाज में, विशेष कर लोकतंत्र में, इस प्रकार की हिंसक घटनाओं का कोई स्थान नहीं है । लोगों को यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि सरकार या किसी जन प्रतिनिधि की आलोचना, अपराध नहीं है। जितना जल्द यह समझ में आ जाए उतना ही स्वयं उनके लिए, देश के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छा है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

राजस्थान दिवस समारोह सप्ताह में याद किया जाए सामाजिक सुधारों के प्रतीक सन्त शिरोमणियों व लोकदेवताओं को

महावीर सिंह

30 मार्च 1949 को गठित वर्तमान राजस्थान राज्य एक संवैधानिक राजनीतिक इकाई के रूप में, भारत गणराज्य राष्ट्र के एक प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। भारत की राजनीतिक आजादी का जो संघर्ष 1857 की क्रांति के साथ शुरू हुआ और अनेक बधाओ-पड़ोओं को सफलता पूर्वक पार करता हुआ 15 अगस्त 1947 को विदेशी दासता से मुक्ति के रूप में उसकी परणीति हुई। अभी सम्प्रभुता सम्पन्न गण राज्य बनने में कई ओर बाधाएं पार करनी थी। उनमें प्रमुख बाधा थी देशी रियासतों को मिला कर भारत गणराज्य की संवैधानिक इकाईयां बनाना।

किन्तु राजनीतिक इकाई बनाना अपने आप में पर्याप्त नही, यदि समाज में प्रेम, सौहार्द्र, भाईचारे का शांत सकूंन दायक माहौल न हो। राजस्थान में अभी तक जो सामाजिक भाईचारे का माहौल हम देख रहे हैं, उसमें राजस्थान नामक राजनीतिक इकाई के गठन से कहीं बहुत ज्यादा, अविस्मरणीय योगदान यहां के संतशिरोमणी महिलाओं व पुरुषों का है। राजस्थान स्थापन सप्ताह के मनाए जाने के वक्त उनको याद न किया जाए, उन्हें कृतज्ञता के श्रद्धासुमन अर्पित न किये जाए तो समारोह अधूरा सा लगेगा।

इन लोगों द्वारा समाज सुधार की, कुरीतियों के त्याग की जो ज्योति जलाई वह 1857 से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। इनकी कहानियां, इनसे जुड़ी किवदंतियां और इनके द्वारा रचित व गाये गए भजन राजस्थान के हर आंचल, गांव-गांव व शहरों में आम आदमी की जुबान में जीवित है। इस क्रम में कुछ सदैव स्मरणीय महिला,पुरुषों पर अति संक्षिप्त चर्चा करते है।

सबसे पहले अनन्य कृष्णभक्त, कवियत्री मीरा बाई को स्मरण करते है। एक सम्पन्न,सामंत राजपूत परिवार में, 1498 के आसपास जन्मी मीराबाई के कृष्ण के भजन सारे उतर व पश्चिमी भारत में आज भी गए व सुने जाते है। मीरा बाई जा पालनपोषण उनके दादा मेड़ता के राव दूदा के घर में बड़े लाड चाव से हुआ। बचपन से ही उनका कृष्ण भक्तिमें मन रम गया। शादी मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में राणा सांगा के पुत्र राव भोजराज से हुआ। भोजराज की जल्दी मृत्यु ही गई। उसके बाद, मीरा बाई का स्थापित कुरीतियों के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ। उन्होंने राजपरिवार की ओर से दी गयी अनेक प्रताड़नाओं, पीड़ाओं का सहजता से, श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए सामना किया। वे प्रथा के अनुरुप सती नहीं हुई। मन्दिरों में अधिक समय व्यतीत करने लगी और आमजन से घुलने-मिलने लगी। उन्होंने तत्समय अछूत समझी जाने वाली जाती के रैदास जी (रविदास) को गुरु अपनाया। अंत में राजमहल छोड़, कृष्ण से जुड़े स्थलों की यात्राएं करने लगी। मीरा एक शांत सामाजिक करनी की वाहक बनी।

इसी क्रम में, 1017 के लगभग, नागौर जिले के कालवा गांव में, जीवन राम डूडी, जाट परिवार के घर जन्मी कर्मा बाई भी स्मरण में आती है। एक अत्यंत साधारण, किसान परिवार में जन्मी कर्मा बाई की कृष्ण भक्ति की ख्याति राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश से ओडिसा तक फैली है। वो मीरा बाई से भी पहले एक शांत सामाजिक समरसता की शुरुआत को जन्म दे चुकी थी। उनकी श्री कृष्ण को खिंचड़े का भोग लगाने वाली जो कहानी है वह लोक में शुद्ध हृदय से भगवतभक्ति का बेजोड़ उदाहरण है जसमें एक भोली लड़की अपने भगवान को भोजन करवाने के लिए अपने धाबले (आज का पेटीकोट) का पर्दा करती है। उस जमाने में उस निर्भीक संत शिरोमणी महिला नें जगनाथपुरी की यात्रा की, जहां उनका खिंचड़े का भोग तैयार करने की विधि लोकप्रिय हुई। यह तत्समय की महिलाओं को अपने स्वयं के विचार बनाने व रखने का संदेश था व समाज को महिलाओं को बराबरी की दृष्टि से देखने का सन्देश था। जात पात कुछ नहीं, सब बराबर।

इसी क्रम में एक ओर सन्तशिरोमणि महिला फूलाबाई का स्मरण होता है। फूलाबाई करीब 380 साल पूर्व, नागौर के समीप के गांव माँझवास में एक मांझू गौती जाट परिवार में जन्मी। फुला बाई बचपन से ही रामभक्ति में लीन रहने लगी। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह नें इनकी भक्ति और पर्चों की ख्याति सुनी। वे अपनी रानियों सहित फूलाबाई के यहां, अपनी रानियों सहित गए। अपनी रानियों को उनसे सीख व उपदेश दिलवाए। इन्होंने 36 साल की उम्र नें समाधि ले ली। फूल बाई के दोहों में पर्यावरण रक्षा, जीव दया, नशा परहेज का संदेश है। यह आज के भी गहरी चिंता के मुद्दे हैं।

जोधपुर के खेजड़ला की अमरता देवी बेनीवाल विश्नोई को कैसे भुलाया जा सकता है जिसने सैंकड़ों वर्ष पूर्व, 1730 में जोधपुर के एक निरंकुश शासक को खेजड़ी के पेड़ नही काटने की अपील की। निरंकुशता की निर्मम, नृशंस पराकाष्ठा का अधम परिचय देते हुए, शासक के लोगों ने 363 लोगों के सिर धड़ से अलग कर पेड़ काटे। अमरता देवी का बलिदान प्रकृति-पर्यावरण संरक्षण का अमर सन्देश दे गया। विश्नोई समाज आज भी, अपने गांव-इलाकों के पशु, पक्षियों का अवैध शिकार नहीं करने देता और ओरण, चारागाह, जोहड़ आदि सार्वजनिक भूमियों से पेड़ नहीं काटने देता।

इसी क्रम में, अवसर के अनुरूप, राजस्थान के लोक देवताओं का स्मरण करना भी समीचीन है। तेजाजी महाराज, गोगाजी, रामदेवजी, झसनाथ जी, जांभोजी, पब जी, हडबू जी की कहानियां, किवदंतियां आम आदमी की जबान पर रहती है। इनके सालाना बड़े मेले लगते है जिसमें उतर भरत, गुजरत, महाराष्ट्र से लाखों भक्त इनके समाधि स्थलों अथवा मंदिरों में, मेलों में आते है।

संक्षेप में इन पर विचार करें तो वीर तेजाजी महाराज का जन्म नागौर के गांव खरनाल में एक जाट ताहड़ जी के यहां 29 जनवरी 1074 को हुआ। उन्हें गौ रक्षक, वचन पालक, योद्धा, समाज सुधारक, जात-पात विरोधी व शिव-नाग देवता के अवतार माना जाता है। अजमेर के सुरसुरा गांव उनका समाधी स्थल है जहां हर मेला लगता है। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरयाणा से इनके अनुयायी खरनाल, सुरसुरा आते है। वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने पर चारों ओर कृषक, ग्वाले तेजाजी के गीत गाते सुने जाते है। किसान खेत में जब बीज दलबे की शुरुआत करता है तो तेजो गाता है।

जाहर पीर गोगा जी का जन्म चुरू जिले के ददरेवा गांव में, राजपूत परिवार में हुआ था। गोगा मैडी उनका निर्वाण स्थल है जहां भाद्रपद माह में बड़ा मेला लगता है। यहां मंदिर 950 साल पुराना माना जाता है। इस मेले में यूपी, हरयाणा, राजस्थान, एमपी आदि से उनके अनुयायी आते है। पशुओं का भी बड़ा मेला लगता है। लोक कहानियों के अनुसार उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। वे हिन्दू, मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते है, सभी धर्मावलम्बी उन्हें मानते है। सर्प दंश के जहर को दूर करने वाले देवता मन जाता है। लोक कहानियों के अनुसार गजनवी के साथ युद्ध में इनके 47 पुत्रों व 60 भतीजों का बलिदान हुआ था। कहा जाता है कि गजनवी से युद्ध में उसने इन्हें साक्षात देवता समझ था क्योंकि युद्ध मैदान में उन्हें चहुं ओर गोगाजी ही दिखाई दे रहे थे।

अत्यंत लोकप्रिय, लोक पूज्य जन देवता रामदेवजी महाराज का जन्म पोकरण के समीप रूणिचा गांव में अजमल जी के यहां हुआ। इन्हें तंवर वंशीय राजपूत माना जाता है। रामदेवजी को पीरों का पीर, रामसा पीर भी कहा जाता है। राजस्थान, हरयाणा, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश, उतर प्रदेश तक इनके अन्यायी फैले हैं। सद्भाव, रूढ़ियों का विरोध, जाती प्रथा का विरोध के प्रतीक हैं रामदेवजी महाराज। भादवा मॉन में जब इनका नेल लगता है तो चारों ओर सड़कों पर पोकरण जाने वाले पैदल व वाहनों में जाने वाले जातरू ही दिखते है। लोग इनके रुकने, भोजन की व्यवस्था सड़कों के किनारों पर अत्यंत भक्ति भाव से करते है। यह सिलसिला दस दिन के लगभग चलता है।

इसी क्रम में विश्नोई पंथ के संस्थापक जांभोजी व जसनाथी सम्प्रदाय के झसनाथ जी भी स्मरणीय है। जाम्भो, नागौर के पीपासर गांव में, पिता लोहट जी पंवार-जाट के घर में 1451 में जन्मे और 34 वर्ष की आयु नें समराथल धोरे पर 20ह्न9, बीस नो नियमों के साथ विश्नोई पंथ की स्थापना की। उनका मुख्य सन्देश तो तब भी और अब तत्समय से ज्यादा आज प्रसांगिक है-- पर्यावरण बचना, पेड़ों को न काटना और जीव दया। कहा जाता है, उन्होंने 51 साल तक भारत भ्रमण किया था। कई ग्रन्थ लिखे यथा निरंजन उपासना, गगन मंडल आदि। जसनाथ जी का जन्म बीकानेर के कतरियासर गांव में हमीर जी ज्याणी के घर, अनुमानत: 1482 में हुआ। वे निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले मूर्तिपूजा विरोधक थे। 24 साल की अल्पायु में समाधी लीन हो गए। जसनाथियों के लिए इन्होंने आचरण के 36 नियम यथा गे बछड़ों के सेवा-रक्षा, उत्तम करणी, राह चलणा, मांसभक्षण नाहीं, रामनाम जपना, होम (हवन)-जप, ब्याज नहीं लेना, हुक्का-तम्बाखू से दूरी, सौदा-सट्टा नहीं, लहसुन-भांग नहीं आदि। आज भी उनके नियम सदाचार आचरण के उत्तम नियम हैं।

राजस्थान के पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर आदि में एक अन्य प्रमुख किसान जाती है जिसके अपने आदर्श पुरुष है। कलबी समाज में शिकारपुर गांव के राजाराम जी नें शिक्षा व समाज सुधार की अलख जगाई। इस वर्ष उनकी 143वी जयंती है।

हमारे राजस्थान में कई पीर, ओलियों की मजारें है जो सदियों से हिन्दू, मुस्लिम एकता की मिसालें है। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है जहां हिन्दू और मुस्लिम दोनों मन के सकून के लिए हाजरी देते है। नरहड़ व ओर कई स्थानों पर इसी प्रकार के मुस्लिमों से जुड़े पवित्र स्थान है जहाँ हिन्दू-मुस्लिम दोनो ही अकीदत में शीश नवाते हैं। सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह जी की नांदेड़ यात्रा का मार्ग भी राजस्थान के ददरेवा, साहवा, नरेना, पुष्कर होके ही रहा है। ओर राजस्थान स्थापना दिवस समारोह सप्ताह मनाना अधूरा रह जाएगा यदि उन हजारों किसानों को, आम आदमियों को स्मरण व नमन न किया जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अनेकानेक कष्ट सहे थे ओर कईयों को बलिदान भी देना पड़ा था।

ओर उन किसानों को श्रद्धापूर्वक नमन जिन्हें आजादी के बाद भी निरंकुश अत्याचारी सामन्तो की गोलियों के सामने बलिदान देने पड़ा। इन्ही किसानों के बलिदानों की नींव पर ही खड़े हैं राजस्थान के भूमि सुधार कानून।

–महावीर सिंह, पूर्व आई ए एस

राजस्थान दिवस सप्ताह पर्यंत उत्सव में जनसरोकारों का प्रतीक है किसान सम्मेलन का आयोजन

डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

राजस्थान दिवस सप्ताह पर्यंत उत्सवों का आयोजन इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदेश में राजस्थान दिवस पर इस तरह के बहुजनाहिताय-बहुजनसुखाय कार्यक्रमों को इसमें समाहित किया गया है। देखा जाए तो सप्ताह के कार्यक्रम महज औपचारिकता ना होकर के वर्ग विशेष या यों कहों कि दिन विशेष को लक्षित वर्ग को सीधे लाभान्वित करने के सार्थक प्रयास किये गये हैं। महिलाओं, किसानों, युवाओं, श्रमिकों यहां तक कि सभी वर्गों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं का समावेश किया गया है जिससे विकास की गंगा बह सके। खास बात यह कि राजस्थान दिवस सप्ताह पर्यंत कार्यक्रमों का प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर आयोजन और उसी अनुसार लाभकारी योजनाओं की घोषणाएं, क्रियान्वयन व लाभार्थियों से सीधे संवाद कायम किया गया है। इससे यह तो साफ हो गया है कि सरकार की पहली प्राथमिकता जन सरोकार है और विकास की गंगा किसी एक वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं रह कर समूचे प्रदेश तक विस्तारित हो सकी है।

राजस्थान दिवस सप्ताह पर्यंत उत्सवों की कड़ी में बीकानेर में किसान सम्मेलन आयोजित कर लक्ष्यार्थी काश्तकारों तक सीधे अनुदान राशि हस्तांतरित की गई है तो किसानों के हित की लाभकारी योजनाओं से काश्तकारों को जोड़ने के प्रयास किये गये। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में 30 हजार काश्तकारों को 137 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है। इस अवसर पर किसानों के लिए पीएस सम्मान निधि राशि में वृद्धि, सीएम थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देश जारी की। इसके साथ ही सरकार ने गांवों में आपसी विवादों के कारण होने वाली मुकदमें बाजी को गंभीरता से लिया है और गैरसरकारी संस्थाओं से आग्रह किया है कि वे गांवों में जाकर काम करें और आपसी समझाईश से इस तरह के विवादों को समाप्त कराने के सार्थक प्रयास करें। क्योंकि बहुत सी बाते ऐसी होती है जिन्हें आपसी समझाईश से आसानी से निपटाया जा सकता है।

वैसे भी सरकार किसानों के प्रति खास तौर समर्पित रही है। इस सरकार की बजट घोषणाओं में भी खेती किसानी पर खास ध्यान दिया गया है। किसानों की सुविधा के लिए कृषि कनेक्शनों के विघ्युत भार को बढ़ाने हेतु स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू की गई। किसानों को 1.26 लाख से अधिक कृषि कनेक्शन जारी करने के साथ ही किसानों को बिजली के बिलों में 27,339 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया। किसानों को राहत देने हेतु टावर क्षेत्र के साथ चारों तरफ एक मीटर तक अतिरिक्त क्षेत्रफल की गणना कर डीएलसी दर का दुगुना तथा प्रसारण लाईन के नीचे आने वाले क्षेत्रफल के पेटे डीएलसी की 30 प्रतिशत की दर से मुआवजा दिये जाने के प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 17वीं, 18वीं एवं 19वीं किश्त हस्तान्तरित की जा चुकी है। उक्त 17वीं किश्त में लाभान्वितों की संख्या 65.30 लाख, 18वीं किश्त में 70.21 लाख एवं 19वीं के माध्यम से राज्य के 72.97 लाख किसानों को 1400 करोड़ रूपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गयी हैं। किसानों को लाभान्वित करने की संख्या की दृष्टि से राज्य का देश में पांचवा स्थान हैं। राज्य सरकार ने पी.एम. किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत 24.97 लाख नये कृषकों द्वारा आवेदन करवाये गये। पूर्व में आवेदित 25.83 लाख कृषकों के अनिवार्य कार्य पूर्ण कर आगामी किश्तों से लाभान्वित होने हेतु पात्र किये गए।

लघु, सीमांत, बटा दार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के लिए सत्र 2024-25 से राजकीय महाविद्यालयों में राजकीय निधि कोष में लिया जाने वाला शुल्क माफ किया गया। नि:शुल्क संकर मक्का बीज मिनिकिट कार्यक्रम के तहत अनुसूचित/सहरिया क्षेत्र के 8.39 लाख जनजाति कृषकों को खरीफ, 2024 के अन्तर्गत मिनिकिट वितरण किये गये। नि:शुल्क हाईब्रिड सब्जी बीज मिनिकिट वितरण कार्यक्रम के तहत लगभग 50,000 जनजाति कृषकों को मिनिकिट का वितरण किया गया। गेहूँ के समर्थन मूल्य 2,275 रूपये प्रति क्विंटल के ऊपर 125 रूपये का बोनस प्रदान कर 2,400 रूपये प्रति क्विंटल पर गेहूँ खरीद कर किसानों को लाभान्वित किया गया। 'राजस्थान कृषक समर्थन योजनान्तर्गत' खाद्य विभाग द्वारा रबी विपणन सीजन 2024-25 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य दिनांक 10.03.2024 से 30.06.2024 तक पूर्ण कर 12.05 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करके 125 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 150.66 करोड़ रूपये बोनस राशि का भुगतान कर 94 हजार से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया।

इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि खेती-किसानी सरकार की प्राथमिकता है और रहनी भी चाहिए। आज सारी दुनिया खेती किसानी को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। क्योंकि कोरोना ने यह अहसास करा दिया है कि खेती किसानी ही ऐसे संकट के दौर में साथ दे सकती है। अन्नदाता की मेहनत की बदौलत ही देश कृषि क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दलहन विकास और तिलहन विकास जैसे कार्यक्रमों पर बल देते हुए तिलहन-दलहन के क्षेत्र में निर्यात पर निर्भरता समाप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। राजस्थान दिवस सप्ताह पर्यंत कार्यक्रमों की सराहना इस मायने में की जानी चाहिए कि सरकार ने अन्नदाता और खेती किसानी को भी अपनी प्राथमिकता में रखा और सप्ताह का एक दिन किसान सम्मेलन को समर्पित किया।

–डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल मंगलवार 1 अप्रैल, 2025

पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, चतुर तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, भरणी नक्षत्र दिन 11:06 तक, विष्कुम्भ योग प्रात: 9:43 तक, वणिज करण सायं 4:04 तक, चन्द्रमा आज सायं 4:30 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मिथुन, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रवियोग दिन 11:06 से आरम्भ होगा। अंगारक विनायक चतुर्थी है। शुक्ल योग, दग्ध योग रात्रि 2:32 से सूर्योदय तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:27 से 10:59 तक, लाभ-अमृत 10:59 से 2:04 तक, शुभ 3:36 से 5:09 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:22, सूर्यास्त 6:40

मेष

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति एवं आय में वृद्धि होगी।

सिंह

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वास